–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 115/2017

उनवान

नौरत पुत्र रायचन्द (फौत) जरियें वारिसान
1. गुलाबी पत्नी नौरत
2. राजू
3. ग्यारसीलाल
4. मंगलचन्द
5. कमला पि. नौरत समस्त जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
––वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. तकीया पॉच पीर श्रीनगर रोड के पास रामसर जरियें मौलवी, ग्राम रामसर, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– प्रतिवादीगण :– 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार

3. कालू पुत्र ज्वारा
4. प्रकाश पुत्र जोधराज समस्त जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
–– प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– 3 व 4 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 30.10.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 4184 रकबा 0–2–10 के खातेदार रायचन्द पुत्र कल्याण माली दर्ज है! रायचन्द की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी ही है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। चौसाला खसरा नम्बर 4184 रकबा 0–2–10 की आराजी को नामान्तकरण संख्या 741 दिनांक 16.04.1967 को रायचन्द पुत्र कल्याण के नाम दर्ज की गयी। आराजी मुतनजा के वंर्किग खसरा नम्बर 4398 रकबा 0–2–10 को रायचन्द की मृत्यु के बाद उसके वारिस ज्वारा, नौरत व जोधराज के नाम दर्ज की गयी। ज्वारा का वारिस प्रतिवादी संख्या 3 व जोधराज का वारिस प्रतिवादी संख्या 4 है। नौरत वादी स्वयं ही है। आराजी मुतनाजी के हाल [illegible] नम्बर 4065 रकबा 0.02 किस्म गै.मु. मोरी को राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के [illegible] आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर [illegible] करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को घोषित [illegible] ––2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested

नसीराबाद (अजमेर)

जावें। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पेरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 741 दिनांक 26.4.67 विक्रय से खातेदार के स्थान पर रायचन्द पुत्र कल्याण का नाम दर्ज हुआ।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 4184 रकबा 0–2–10 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022 स 2025 में शफीशाह व मदारी शाह, चांदशाह व अब्दुल रहमान शाह पि. लाल शाह व मदारी शाह पि. मादू शाह के नाम दर्ज थी। जो नामान्तकरण संख्या 741 दिनांक 26.04.1967 से जरियें विक्रय पत्र वादी के पिता रायचन्द पुत्र कल्याण के नाम दर्ज की गयी। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 4398 रकबा 0–2–10 वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 714 में रायचन्द पि. कल्याण के नाम दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 4398 नामान्तकरण संख्या 1252 दिनांक 12.2.87 से ज्वारा, नोरत व जोधराज पि. रायचन्द के नाम अंकित हुयी। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 4065 रकबा 0.02 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में वादी के पिता के नाम जरियें विकय पत्र दर्ज थी। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनो की ताईद होती है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीं व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 4065 रकबा 0.02 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नोरत बनाम तकिया

दावा बाबत :– 88 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 115/2017
पेश करने की दिनांक – 01.08.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद् राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 4065 रकबा 0.02 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक---------- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20 माह [illegible] सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested